न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारीः— सुनील कुमार पीपलीवाल आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 73 / 2022 **दायर दिनांकः 08.06.2022**

उनवान

1. जगदीश उम्र 45 वर्ष पुत्र गोविन्दलाल उर्फ गोमदा जाति धाकड़ निवासी हानिहेडा तहसील अटरू जिला बारां (राज.)

वादी

बनाम

1. मंजू बाई पुत्री प्रभूलाल पत्नि रमेशचंद जाति धाकड़ हाल निवासी सोनी दिलोद तहसील छबड़ा जिला बारां (राज.)
2. द्रोपती बाई पुत्री प्रभूलाल पत्नि घनश्याम जाति धाकड़ निवासी हाल मुकाम मोखमपुरा तहसील छीपाबड़ोद जिला बारां (राज.)
3. जमना बाई पुत्री प्रभूलाल पत्नि हेमराज जाति धाकड़ हाल निवासी खोपर (कोहनी) तहसील छीपाबड़ोद जिला बारां (राज.)
4. पंसुरी बाई पुत्री प्रभूलाल पत्नि दुर्गाशंकर जाति धाकड़ हाल निवासी टीगरी तहसील छीपाबड़ोद जिला बारां (राज.)
5. कमला बाई पुत्री बिहारीलाल जाति धाकड़ निवासी हानिहेड़ा तह. छीपाबडोद जिला बारां (राज.)
6. कैला बाई पुत्री माधोलाल जाति धाकड़ निवासी हानिहेड़ा
7. चन्द्रकला पुत्री गोमदा जाति धाकड़ निवासी हानिहेड़ा
8. जगमोहन पुत्र बिहारीलाल जाति धाकड़ निवासी हानिहेड़ा
9. बाबूलाल पुत्र बिहारीलाल जाति धाकड़ निवासी हानिहेड़ा
10. भंवरलाल पुत्र गोमदा जाति धाकड़ निवासी हानिहेड़ा
11. राधेश्याम पुत्र गोमदा जाति धाकड़ निवासी हानिहेड़ा
12. रुकमा बाई पुत्री गोमदा जाति धाकड़ निवासी हानिहेड़ा
13. पुष्पा बाई पुत्री रामचन्द्र जाति धाकड़ निवासी हानिहेड़ा
14. मथरी बाई पत्नि माधो जाति धाकड़ निवासी हानिहेड़ा
15. शिवनारायण पुत्र माधो जाति धाकड़ निवासी हानिहेड़ा
16. संतोष बाई पुत्री माधो जाति धाकड़ निवासी हानिहेड़ा
17. ओमप्रकाश पुत्र मोहनलाल जाति धाकड़ निवासी हानिहेड़ा
18. घीसी बाई पत्नि मोहनलाल जाति धाकड़ निवासी हानिहेड़ा

19. जमना बाई पुत्री मोहनलाल जाति धाकड़ निवासी हानिहेडा
20. नवल किशोर पुत्र मोहनलाल जाति धाकड़ निवासी हानिहेड़ा
21. बंशीलाल पुत्र मोहनलाल जाति धाकड़ निवासी हानिहेड़ा
22. ममता बाई पुत्री मोहनलाल जाति धाकड़ निवासी हानिहेड़ा
23. गायत्री बाई पुत्री चन्दालाल जाति धाकड़ निवासी हानिहेडा
24. नंदकिशोर पुत्र हरनारायण जाति धाकड़ निवासी हानिहेड़ा
25. पुरुषोत्तम पुत्र हरनारायण जाति धाकड़ निवासी हानिहेड़ा
26. मेघराज पुत्र चन्दालाल जाति धाकड़ निवासी हानिहेड़ा
27. ब्रह्मानंद पुत्र छीतरलाल जाति धाकड़ निवासी हानिहेड़ा
28. शाखा प्रबंधक, BRKGB शाखा कवाई
29. शाखा प्रबंधक, SBI बैंक शाखा अटरू
30. शाखा प्रबंधक, BOB बैंक शाखा अटरू
31. शाखा प्रबंधक, HDFC बैंक शाखा बारां
32. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अटरू जिला बारां (राज.)
33. सब रजिस्ट्रार अटरू सब तहसील अटरू

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए आर. टी. एक्ट.

उपस्थिति :–
वादी :– विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल
प्रतिवादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री भीमराज नागर प्रतिवादी क्रम 1 ता 4

निर्णय **दिनांक 17.11.2025**

वादी ने यह वाद अर्न्तगत धारा 88, 89, 91, 92 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का पेश किया है कि ग्राम एवं माल हानिहेड़ा तहसील अटरू में मुताबिक़ जमाबन्दी सम्वत 2072–75 के अनुसार खाता संख्या 205 की खसरा नं. 473 का रकबा 0.73 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। इसी प्रकार ग्राम एवं माल हानिहेड़ा में खाता संख्या 203 का खसरा नं. 290 का रकबा 1.90 है0 भुमि स्थित चली आ रही है। इसी प्रकार ग्राम एवं माल हानिहेड़ा तहसील अटरू में खाता संख्या 200 की खसरा नं. 542 का रकबा 1.15 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। ग्राम एवं माल हानिहेड़ा तहसील अटरू में मुताबिक़ जमाबन्दी सम्वत 2072–75 के अनुसार खाता संख्या 88 के खसरा नं. 144 का रकबा 0.63 है0, खसरा नं. 272 का रकबा 0.02 है0, खसरा नं. 273 का रकबा 1.38 है0, खसरा नं. 312 का रकबा 0.11

है0, खसरा नं. 316 का रकबा 0.12 है0, खसरा नं. 317 का रकबा 0.14 है0, खसरा नं. 318 का रकबा 0.49 है0, खसरा नं. 341 का रकबा 0.02 है., खसरा नं. 342 का रकबा 1.66 है0, खसरा नं. 343 का रकबा 0.03 है., खसरा नं. 344 का रकबा 1.43 है0, खसरा न. 411 का रकबा 0.23 है., खसरा न. 417 का रकबा 0.01 है0, खसरा नं. 423 का रकबा 0.25 है., खसरा नं. 526 का रकबा 4.67 है0, खसरा नं. 597 का रकबा 1.32 है0, खसरा न. 599 का रकबा 1.17 है0 कुल किता 17 का रकबा 13.68 है0 भूमि स्थित चली आ रही है। वाद पत्र की मद न. 1 व 2 में वर्णित भूमि संयुक्त खाते की भूमि है। वादी के पिता गोविन्दलाल एवं प्रभुलाल, माधोलाल व बिहारीलाल चारों सगे भाई थे जो रामचन्द्र जी के वारिसान है। प्रभुलाल जी के कोई पुत्र सन्तान नहीं थी। मात्र प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 उनकी लडकियां थी। प्रभुलाल जी ने अपने जीवनकाल में समस्त पुत्रियों का विवाह कर दिया था तथा उनकी चल एवं अचल संपत्तियों में जितना हिस्सा बनता था उतना हिस्सा उनकी पुत्रियों को दे दिया था। प्रभुलाल जी वादी के पास रहे। वादी ने ही उनकी सेवा सुश्रुसा की। प्रभुलाल जी की मृत्यु उपरान्त सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार वादी ने ही दाह संस्कार किया। गंगाजल की रसोई की तथा सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार वादी को प्रभुलाल का पुत्र मानकर पगड़ी की रस्म भी की। प्रभुलाल जी ने अपने जीवनकाल में अपनी समस्त चल एवं अचल संपत्ति की वसीयत वादी के पक्ष में निष्पादित कर गवाही गवाहान करवा दी थी। प्रभुलाल जी का स्वर्गवास दिनांक 30/05/2009 को हो गया था। उनके पश्चात वादी ने उनके खाते की भूमि पर वसीयत के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने हेतु तहसीलदार साहब को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था। लेकिन तहसीलदार साहब ने नामान्तरण के प्रार्थना पत्र को बाद जांच वसीयत तस्दीक करने के लिए रखा था। तहसीलदार साहब द्वारा वसीयत की कोई जांच नहीं की गई। इसी दौरान पटवारी हल्का ने वाद पत्र की मद नं. 1 व 2 में अंकित भूमि में मृतक प्रभुलाल के वारिसान उनकी पुत्रियाँ प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के पक्ष में नामान्तरण संख्या 680 दिनांक 04/02/2022 तस्दीक कर दिया जो अवैध एवं गैरकानूनी होने से निरस्तनीय है। वाद पत्र की मद न. 1 व 2 में वर्णित भूमि प्रभुलाल की स्वर्जित भूमि है। जिस पर वादी वसीयत के आधार पर उनके हिस्से तक खातेदार कृषक घोषित होने का अधिकारी है। प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 का वाद पत्र की मद न. 1 व 2 में वर्णित भूमि में खाते में उनका नाम दर्ज होने से प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 उक्त भूमि को बेचान व रहन दर्ज करने पर आमादा है। बिना सहायता न्यायालय उनके अवैध कृत्य को रोका जाना संभव नहीं है। अस्तु वादी विरुद्ध प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के पक्ष में खोले गए नामान्तरण संख्या 680 दिनांक 04/02/2022 को अवैध एवं प्रभावशुन्य घोषित करवाकर वादी खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने का अधिकारी है। राजस्थान सरकार भूमिधारी होने से तथा वाद में आवश्यक पक्षकार होने से उसे प्रतिवादी कम 32 बनाया गया है। मामला आवश्यक प्रकृति का होने से राजस्थान सरकार को धारा 80 cpc का नोटिस प्रेषित किया जाना आज्ञापक है लेकिन नोटिस की अवधि

समाप्ति का इन्तजार किया गया तो प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 भूमि को रहन बेचान कर देंगे जिससे वादी को अनेकानेक विवादों में उलझना पड़ेगा जिससे वादी को अपरिमित क्षति होगी। इसलिए मामला आवश्यक प्रकृति का होने से धारा 80 (2) CPC का अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर माननीय न्यायालय की इजाजत से वाद पेश है। वाद पत्र में वर्णित भूमि बैंकों के रहन दर्ज होने से उन्हें पक्षकार बनाया गया है। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 04/02/2022 को प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के पक्ष में नामान्तरण दर्ज होने की जानकारी दिनांक 21/03/2022 को नकले प्राप्त होने पर तथा दिनांक 07/06/2022 को भूमि को रहन बेचान करने की धमकी देने पर माननीय न्यायालय के सीमा क्षेत्र में बमुकाम उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम हानिहेड़ा तहसील अटरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। वाद राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तृतीय परिशिष्ट के मुताबिक उचित न्यायशुल्क पर दावा हाजा पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा सुने जाने योग्य है। वाद उचित न्यायशुल्क एवं अवधि मध्य पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है।

अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 निम्न आशय की डिक्री पारित फरमाई जाए किः—

(अ) यह कि वाद पत्र की मद नं. 1 व 2 में वर्णित आराजी में मृतक प्रभूलाल के स्थान पर प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के पक्ष में खोले गए नामान्तरण संख्या 680 दिनांक 04/02/2022 को अवैध एवं प्रभावशुन्य घोषित किया जाकर उनके स्थान पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

(ब) प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फ़रमाया जाए की वह वाद पत्र की मद न. 1 व 2 में वर्णित आराजी भूमि को कहीं रहन बेचान नहीं करे और न ही किसी प्रकार का अन्तरण करे।

(स) यह कि वाद व्यय एवं अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे वादी को प्रदान की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी जर्ये सम्मन की गई। प्रतिवादी क्रम 5 ता 31 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 द्वारा जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र पेश कर कथन किया कि वाद पत्र की मद न. 1 स्वीकार है। वाद पत्र की मद न. 2 स्वीकार है। वाद पत्र की मद न. 3 में प्रभुलाल के चार पुत्रियाँ प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 वर्णित तथ्य होना स्वीकार है, शेष विवरण अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 4 में वर्णित प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के पक्ष में नामान्तरण दिनांक 04/02/2022 इंतकाल नं. 680 दर्ज होना स्वीकार है, शेष विवरण जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 5 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद न. 6 कानूनी

है । वाद पत्र की मद नं. 7 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 8 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं. 9 अस्वीकार है। वाद पत्र की मद नं. 10 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं. 11 कानूनी है। वाद पत्र की मद नं. 12 अस्वीकार है। यह कि अनुतोष वादी अस्वीकार है।

विशेष आपत्तियां मय प्रतिवाद पत्र

प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 मृतक प्रभुलाल की वैध वारिस है। इस आधार पर दिनांक 04/02/2022 इन्तकाल न. 680 फौती इंतकाल खोला गया है जो वैध एवं विधिमान्य है। जिसे वादी बिना किसी अधिकार के निरस्त करवाने का अधिकारी नहीं है। प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के पिता मृतक प्रभूलाल ने अपने जीवनकाल में वसीयत नहीं की है तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 को मृतक प्रभुलाल द्वारा वादी के पक्ष में वसीयत करने के बारे में नहीं बताया है। इसलिए प्रस्तुत वाद पत्र वसीयत के आधार पर किया गया है जो खारिज होने योग्य है। वादी के पक्ष में मृतक प्रभुलाल वसीयत करता तो वादी मृतक प्रभुलाल के स्वर्गवास होते ही वसीयत के आधार पर मृतक प्रभुलाल की चल अचल संपत्ति में वादी अपने नाम दर्ज करवाने की कार्यवाही करता लेकिन वादी द्वारा इन्तकाल खुलवाने बाबत कोई कार्यवाही पेश नहीं की है। मृतक प्रभुलाल के स्वर्गवास के बाद प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 द्वारा नियमानुसार कार्यवाही कर मृतक प्रभुलाल की संपत्ति में प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 ने अपना नाम दर्ज करवाया है जो कानून विधि सम्मत है। प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 आराजी को हिस्से व कब्जे अनुसार पृथक से अपने खाते दर्ज करवाने के अधिकारी है, बिना सहायता न्यायालय प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के हिस्से की आराजी को हिस्से व कब्जे अनुसार प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के खाते दर्ज करना संभव नहीं है अस्तु यह प्रतिवाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के हिस्से की आराजी को हिस्से व कब्जे अनुसार प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के पृथक से खाते दर्ज कर उसका अंकन राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जावे। प्रतिवाद पत्र उचित न्यायशुल्क पर अवधि मध्य पेश है। वादग्रस्त आराजी ग्राम हानिहेड़ा तहसील अटरु जिला बारां (राज.) में स्थित होने से माननीय न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अतः माननीय न्यायालय में जवाब दावा मय प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जाकर प्रतिवादी का प्रतिवाद पत्र वादी के विरुद्ध स्वीकार कर निम्न आशय की डिक्री पारित की जावे –

(अ) वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 को हिस्से व कब्जे अनुसार आराजी पृथक से खाते दर्ज की जावे विकल्प में अच्छी में से अच्छी व बुरी में से बुरी का बंटवारा कर प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 का हिस्सा पृथक से प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के खाते दर्ज कर उसका अंकन राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज किया जावे।

(ब) वादी को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के कब्जे काश्त एवं स्वामित्व की आराजी के शान्तिपूर्वक काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे, ऐसा कृत्य न तो स्वयं करे न ही अपने प्रतिनिधियों से करावे ।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझे प्रतिवादी को प्रदान की जावे।

अभिभाषक वादी व प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 द्वारा आपसी सहमति से राजीनामा पेश कर कथन किया कि उक्त उनवान का वाद माननीय न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें वादी व प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के मध्य आपसी सहमति से निम्न प्रकार से राजीनामा हो गया है – वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि पर प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 का हिस्सा खाता संख्या 205 की भूमि में से हिस्सा 1/5 तथा खाता संख्या 200 की ख0नं0 542 का रकबा 1.15 है0 में से हिस्सा 1/10 तथा खाता संख्या 203 की भूमि में से हिस्सा 1/3 पर तथा वाद पत्र की मद नं. 2 में वर्णित भूमि पर प्रतिवादीगण का हिस्सा 1/8 पर वादी को प्रतिवादीगण के स्थान पर वसीयत के आधार पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के पक्ष में खोले गए नामान्तरण को निरस्त करवाकर वादी को हमारे हिस्से तक वाद पत्र की मद नं. 1 व 2 में वर्णित भूमि पर खातेदार कृषक घोषित किये जाने में हम सहमत व राजी है।

अतः श्रीमान की सेवा में राजीनामा पेश कर निवेदन है कि वादी व प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 द्वारा प्रस्तुत राजीनामा तस्दीक कर वादी के पक्ष में डिक्री पारित कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

राजीनामा न्यायालय में पढकर सुनाया गया जिसे वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 द्वारा सही होना स्वीकार किया गया। वादी की पहचान श्री भगवान स्वरूप मंगल एड0 द्वारा की गई तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 की पहचान श्री भीमराज नागर एड0 द्वारा की गई। राजीनामा बाद तस्दीक शा0 फा0 किया गया। वादी तथा प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 ने स्वयं उपस्थित होकर आदेशिका पर सहमति हस्ताक्षर किये।

अभिभाषक वादी एवं अभिभाषक प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 की बहस सुनी गई। अभिभाषकगण की बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन एवं मनन किया गया। ग्राम एवं माल हानिहेडा पटवार हल्का बरलां के खाता संख्या 200 के ख0नं0 542 का रकबा 1.15 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.15 है0 आराजी वादी (जगदीश पुत्र गोमदा हिस्सा 1/50) व प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 (मंजू बाई, द्रोपती बाई, जमना बाई व पंसुरी बाई हिस्सा 1/40 ,1/40) के अन्य सहखातेदार के साथ शामलाती खाते दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम एवं माल हानिहेडा पटवार हल्का बरलां के खाता संख्या 203 के ख0नं0 290 का रकबा 1.90 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.90 है0 आराजी प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 (मंजू बाई, द्रोपती बाई, जमना बाई व पंसुरी

बाई हिस्सा 1/12 ,1/12) के अन्य सहखातेदार के साथ शामलाती खाते दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम एवं माल हानिहेडा पटवार हल्का बरलां के खाता संख्या 88 कुल किता 17 कुल रकबा 13.68 है0 आराजी वादी (जगदीश पुत्र गोमदा हिस्सा 1/32) व प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 (मंजू बाई, द्रोपती बाई, जमना बाई व पंसुरी बाई हिस्सा 1/32 ,1/32) के अन्य सहखातेदार के साथ शामलाती खाते दर्ज है। इसी प्रकार ग्राम एवं माल हानिहेडा पटवार हल्का बरलां के खाता संख्या 205 के ख0नं0 473 का रकबा 0.73 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.73 है0 आराजी वादी (जगदीश पुत्र गोमदा हिस्सा 1/25) व प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 (मंजू बाई, द्रोपती बाई, जमना बाई व पंसुरी बाई हिस्सा 1/20 ,1/20) के अन्य सहखातेदार के साथ शामलाती खाते दर्ज है। नकल नामान्तकरण ग्राम बरलां नामान्तकरण प्रविष्टी संख्या 680 दिनांक 04.02.2022 के अनुसार प्रभूलाल पुत्र रामचन्द्र के फौत होने पर उसके हिस्से की आराजी का नामान्तकरण प्रभूलाल की पुत्रियों प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 (मंजू बाई, द्रोपती बाई, जमना बाई व पंसुरी बाई) के पक्ष में दर्ज हुआ है। वसीयतनामा दिनांक 21.08.2006 के अनुसार प्रभूलाल पुत्र रामचन्द्र जाति धाकड निवासी हानिहेडा ने अपनी चल–अचल सम्पति की वसीयत जगदीश पुत्र गोमदा के पक्ष में की है तथा वादी व प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 द्वारा पेश राजीनामा अनुसार भी ग्राम व माल हानिहेडा के खाता संख्या 205, खाता संख्या 200, खाता संख्या 203 व खाता संख्या 88 की भूमि पर प्रतिवादी क्रम 1 ता 4 के हिस्से पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किये जाने में कोई आपत्ति पेश नही की है।

उपरोक्त विवेचन, विश्लेषण एवं आपसी सहमति से पेश राजीनामा के आधार पर वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए आर.टी. एक्ट न्यायहित में स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

–ःक्रियात्मक आदेशः–

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण व पेश राजीनामा के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है। आराजी ग्राम एवं माल हानिहेडा पटवार हल्का बरलां के खाता संख्या 203 के ख0नं0 290 का रकबा 1.90 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.90 है0 आराजी में वादी को प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 के 1/3 हिस्से पर, आराजी ग्राम एवं माल हानिहेडा पटवार हल्का बरलां के खाता संख्या 200 के ख0नं0 542 का रकबा 1.15 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.15 है0 आराजी में वादी को प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 के 1/10 हिस्से तथा ग्राम एवं माल हानिहेडा पटवार हल्का बरलां के खाता संख्या 205 के ख0नं0 473 का रकबा 0.73 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.73 है0 आराजी में वादी को प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 हिस्सा 1/5 पर तथा ग्राम एवं माल हानिहेडा पटवार हल्का बरलां के खाता संख्या 88 कुल किता 17 कुल रकबा 13.68 है0 आराजी में वादी को प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 के हिस्सा 1/8 पर खातेदार कृषक घोषित

किया जाता है। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। गै0मु0 नाला, गै0मु0 नाली, गै0मु0खाल, गै0मु0 छतरी, गै0मु0रास्ता तथा भूमि की किस्म का नोट यथावत रखा जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हों।

निर्णय आज दिनांक **17.11.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

फाइनल डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)
बइजलास. श्री सुनील कुमार पीपलीवाल (R.A.S.) उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)
प्रकरण सं0 73/2022 **दायर दिनांकः 08.06.2022**

उनवान

1. जगदीश उम्र 45 वर्ष पुत्र गोविन्दलाल उर्फ गोमदा जाति धाकड़ निवासी हानिहेडा तहसील अटरू जिला बारां (राज.)

वादी

बनाम

1. मंजू बाई पुत्री प्रभूलाल पत्नि रमेशचंद जाति धाकड़ हाल निवासी सोनी दिलोद तहसील छबड़ा जिला बारां (राज.)
2. द्रोपती बाई पुत्री प्रभूलाल पत्नि घनश्याम जाति धाकड़ निवासी हाल मुकाम मोखमपुरा तहसील छीपाबड़ोद जिला बारां (राज.)
3. जमना बाई पुत्री प्रभूलाल पत्नि हेमराज जाति धाकड़ हाल निवासी खोपर (कोहनी) तहसील छीपाबड़ोद जिला बारां (राज.)
4. पंसुरी बाई पुत्री प्रभूलाल पत्नि दुर्गाशंकर जाति धाकड़ हाल निवासी टीगरी तहसील छीपाबड़ोद जिला बारां (राज.)
5. कमला बाई पुत्री बिहारीलाल जाति धाकड़ निवासी हानिहेड़ा तह. छीपाबडोद जिला बारां (राज.)
6. कैला बाई पुत्री माधोलाल जाति धाकड़ निवासी हानिहेड़ा
7. चन्द्रकला पुत्री गोमदा जाति धाकड़ निवासी हानिहेड़ा
8. जगमोहन पुत्र बिहारीलाल जाति धाकड़ निवासी हानिहेड़ा
9. बाबूलाल पुत्र बिहारीलाल जाति धाकड़ निवासी हानिहेड़ा
10. भंवरलाल पुत्र गोमदा जाति धाकड़ निवासी हानिहेड़ा
11. राधेश्याम पुत्र गोमदा जाति धाकड़ निवासी हानिहेड़ा
12. रुकमा बाई पुत्री गोमदा जाति धाकड़ निवासी हानिहेड़ा
13. पुष्पा बाई पुत्री रामचन्द्र जाति धाकड़ निवासी हानिहेड़ा
14. मथरी बाई पत्नि माधो जाति धाकड़ निवासी हानिहेड़ा
15. शिवनारायण पुत्र माधो जाति धाकड़ निवासी हानिहेड़ा
16. संतोष बाई पुत्री माधो जाति धाकड़ निवासी हानिहेड़ा
17. ओमप्रकाश पुत्र मोहनलाल जाति धाकड़ निवासी हानिहेड़ा
18. घीसी बाई पत्नि मोहनलाल जाति धाकड़ निवासी हानिहेड़ा
19. जमना बाई पुत्री मोहनलाल जाति धाकड़ निवासी हानिहेडा
20. नवल किशोर पुत्र मोहनलाल जाति धाकड़ निवासी हानिहेड़ा
21. बंशीलाल पुत्र मोहनलाल जाति धाकड़ निवासी हानिहेड़ा
22. ममता बाई पुत्री मोहनलाल जाति धाकड़ निवासी हानिहेड़ा
23. गायत्री बाई पुत्री चन्दालाल जाति धाकड़ निवासी हानिहेडा

24. नंदकिशोर पुत्र हरनारायण जाति धाकड़ निवासी हानिहेड़ा
25. पुरुषोत्तम पुत्र हरनारायण जाति धाकड़ निवासी हानिहेड़ा
26. मेघराज पुत्र चन्दालाल जाति धाकड़ निवासी हानिहेड़ा
27. ब्रह्मानंद पुत्र छीतरलाल जाति धाकड़ निवासी हानिहेड़ा
28. शाखा प्रबंधक, BRKGB शाखा कवाई
29. शाखा प्रबंधक, SBI बैंक शाखा अटरू
30. शाखा प्रबंधक, BOB बैंक शाखा अटरू
31. शाखा प्रबंधक, HDFC बैंक शाखा बारां
32. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील अटरू जिला बारां (राज.)
33. सब रजिस्ट्रार अटरू सब तहसील अटरू

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए आर. टी. एक्ट.</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कनई .....X..... रूबरू.....X.....

बहाजिर :–

उपस्थिति :–

वादी :– विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल

प्रतिवादीगण :– विद्वान अभिभाषक श्री भीमराज नागर प्रतिवादी क्रम 1 ता 4

मिनजानित मुदई रूबरू .....X.....

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। आराजी ग्राम एवं माल हानिहेडा पटवार हल्का बरलां के खाता संख्या 203 के ख0नं0 290 का रकबा 1.90 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.90 है0 आराजी में वादी को प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 के 1/3 हिस्से पर, आराजी ग्राम एवं माल हानिहेडा पटवार हल्का बरलां के खाता संख्या 200 के ख0नं0 542 का रकबा 1.15 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 1.15 है0 आराजी में वादी को प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 के 1/10 हिस्से तथा ग्राम एवं माल हानिहेडा पटवार हल्का बरलां के खाता संख्या 205 के ख0नं0 473 का रकबा 0.73 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.73 है0 आराजी में वादी को प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 हिस्सा 1/5 पर तथा ग्राम एवं माल हानिहेडा पटवार हल्का बरलां के खाता संख्या 88 कुल किता 17 कुल रकबा 13.68 है0 आराजी में वादी को प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 4 के हिस्सा 1/8 पर खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। राजीनामा निर्णय का भाग रहेगा। गै0मु0 नाला, गै0मु0 नाली, गै0मु0खाल, गै0मु0 छतरी, गै0मु0रास्ता तथा भूमि की किस्म का नोट यथावत रखा जावें। तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज .....X..... मुबालिक .....X..... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह .....X.....
..... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .....X..... अदा करूंगा।

मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 17.11.2025 को जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		मुदालयह	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	स्टाम्प अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान		मिजान	

उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)